

राजस्थान सरकार  
खान (गुप-2) विभाग

क्रमांक : प.5(77)खान/गुप-2/2007

जयपुर, दिनांक 28 DEC 2010

संशोधित अधिसूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निकट ग्राम लसरावन-जावदा तह0 निम्बाहेडा, जिला चित्तौडगढ़ ब्लॉक पर नये सिरे से खनिज लाइमस्टोन (सीमेट ग्रेड) के खनन पट्टा अनुदान हेतु आवेदन पत्र दिनांक 10 जनवरी, 2011 से 09 फरवरी, 2011 तक की अवधि में आमंत्रित किये जाने हेतु समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 09.11.2010 को जारी की गई, जो राजस्थान राजपत्र विशेषांक में दिनांक 09.11.2010 को प्रकाशित हुई है। इस अधिसूचना की विवरण सूची में एच से आई तक बियरिंग " 360°-25' " के स्थान पर " 360°-00' " पढ़ा जावे। अधिसूचना की अन्य सभी शर्तें व विवरण यथावत रहेंगे।

आज्ञा से,

(बी0एल0 सीनी)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :-

1. प्रमुख शासन सचिव, महा0राज्यपाल / मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, खान राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खान एवं इट्रोलियम विभाग, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित अधीक्षण खनि अभियंताओं / खनि अभियंताओं / सहायक खनि अभियंताओं / अधीक्षण भू-वैज्ञानिकों / वरिष्ठ भू-वैज्ञानिकों को इस अधिसूचना की प्रति भिजवाने की व्यवस्था करें, साथ ही अधिसूचना को विभागीय वेबसाइट पर भी अप लोड किया जावे। उपरोक्तानुसार लंबित आवेदन पत्रों को तत्काल निरस्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित करावे।
2. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, जयपुर को एक अतिरिक्त प्रति सहित प्रेषित कर लेख है कि इस अधिसूचना का राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में तत्काल प्रकाशन करा राजपत्र की प्रति इस विभाग एवं निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर को भिजवाना सुनिश्चित करें। अधिसूचना की सी0डी0 संलग्न है।
3. रक्षित पत्रावली।

(गुहलाद सिन्हा)  
शासन सहायक सचिव

88/2/2011

311  
23/11/10

(135)

राजस्थान सरकार  
खान (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : प.5(77)खान/ग्रुप-2/2007

जयपुर, दिनांक 15 NOV 2010

संशोधित अधिसूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निकट ग्राम लसरावन-जावदा तह0 निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौडगढ़ ब्लॉक पर नये सिरे से खनिज लाइमस्टोन (सीमेंट ग्रेड) के खनन पट्टा अनुदान हेतु आवेदन पत्र दिनांक 10 जनवरी, 2011 से 09 फरवरी, 2011 तक की अवधि में आमंत्रित किये जाने हेतु समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 09.11.2010 को जारी की गई, जो राजस्थान राजपत्र विशेषांक में दिनांक 09.11.2010 को प्रकाशित हुई है। इस अधिसूचना में, सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन ब्लॉक का कुल क्षेत्रफल "898.50 हेक्टेयर" के स्थान पर "989.50 हेक्टेयर" पढ़ा जावे। अधिसूचना की अन्य सभी शर्तें व विवरण यथावत रहेंगे।

आज्ञा से,

ADG  
15.11.10

( शिव कुमार अग्रवाल )  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :-

1. प्रमुख शासन सचिव, महा0राज्यपाल / मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, खान राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित अधीक्षण खनि अभियंताओं / खनि अभियंताओं / सहायक खनि अभियंताओं / अधीक्षण भू-वैज्ञानिकों / वरिष्ठ भू-वैज्ञानिकों को इस अधिसूचना की प्रति भिजवाने की व्यवस्था करें, साथ ही अधिसूचना को विभागीय वेबसाइट पर भी अप लोड किया जावे। उपरोक्तानुसार लंबित आवेदन पत्रों को तत्काल निरस्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित करावे।
2. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, जयपुर को एक अतिरिक्त प्रति सहित प्रेषित कर लेख है कि इस अधिसूचना का राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में तत्काल प्रकाशन करा राजपत्र की प्रति इस विभाग एवं निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर को भिजवाना सुनिश्चित करें। अधिसूचना की सी0डी0 संलग्न है।
3. रक्षित पत्रावली।

4718  
17/11/10

क.म. (B)  
पुत्रावली

23/11/10

Put up on file.

SFA/

23-11

(प्रहलाद सिन्हा)  
शासन सहायक सचिव